


31.01.2024

पत्रावली प्रस्तुत। प्रकरण में मूल
अपील का निर्णय हो जाने से
उक्त प्रार्थना-पत्र का कोई औचित्य
नहीं रह जाता है। अतः पत्रावली
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर
हो।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

